संख्या:-627/78-1-2025-26/2025

प्रेषक,

विवेक कुमार गुप्ता,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 28-05-2025

विषयः- उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) तथा उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत निवेशकों को स्टाम्प शुल्क छूट की अनुमन्यता हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना/शासनादेश निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-यूपीएलसी:इलेक्ट पालिसी:2025-26 दिनांक 09 मई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) तथा उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत निवेशकों को स्टाम्प शुल्क छूट की अनुमन्यता हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना/शासनादेश निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अपेक्षित अधिसूचनायें निर्गत करते हुए शासनादेश के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है तथापि अधिसूचनाओं संख्या:-1/2025/91/94-स्टा0नि0-2-2025-700(89)/2024 , दिनांक 03 फरवरी, 2025 एवं संख्या:-2/2025/92/94-स्टा0नि0-2025-700(89)/2024 , दिनांक 03 फरवरी, 2025 तथा संख्या:-6/2024/362/94-स्टा0नि0-2-2024-700(08)/2024 , दिनांक 15 मार्च, 2024 एवं संख्या:-7/2024/363/94-स्टा0नि0-2-2024-700(08)/2024 , दिनांक 15 मार्च, 2024 की छायाप्रतियां सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचनाओं में विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
VIVEK KUMAR GUPTA
Date: 28-05-2025
14:42:50

(विवेक कुमार गुप्ता)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, अनुभाग-2
संख्या-1/2025/91/94-स्टा०नि०-2-2025-700(89)/2024
लखनऊ, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या-16 सन् 1908) की धारा 78-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के अधीन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के पैरा-5.10 में यथा उपबन्धित उक्त अनुसूची के स्तंभ-2 यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में यथा प्रदर्शित लिखत के संबंध में प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तंभ-3 में प्रदर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के सुसंगत पैरा	प्रयोजन और अन्य विवरण	छूट की सीमा	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद संख्या और लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
5.10	सेमी कण्डक्टर इकाईयों (सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन इकाई (फैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, (एस०आई०पी०एच०) सेन्सर्स (एम०ई०एम०एस० सहित) फ़ैब, डिस्कीट सेमीकण्डक्टर फैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए०टी०एम०पी०)/आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्ट (ओ०एस०ए०टी०) सुविधा) की स्थापना हेतु भूमि का क्रय/पट्टा	100 %	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची अनुसूची-1-ख के अनु० 35-के अधीन 'पट्टा' और अनु०-23 के खण्ड--क के अधीन "हस्तांतरण"

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी अर्थात :-

(क) संबंधित इकाई को राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अधीन अन्य छूट या सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी;

(ख) जिले का जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/उपायुक्त उद्योग ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, उपरिलिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय महानिरीक्षक, निबंधन उत्तर प्रदेश के पक्ष में रज़िस्ट्रीकरण शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति (Bank Guarantee), निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश को देगा। ऐसी दशा में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश बैंक प्रत्याभूति को भुना कर विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा;

परन्तु यह कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि सम्बन्धित इकाई द्वारा पूर्वोक्त नीति के अधीन शर्तों का सम्यक अनुपालन कर दिया गया है, बैंक प्रत्याभूति को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अवमुक्त कर दिया जायेगा।

(घ) इस अधिसूचना के उपबन्ध दिनांक 12.11.2020 से प्रवृत्त माने जायेंगे और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के प्रभावी दिनांक तक लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1/2025/91(1)/94-स्टा०नि०-2-2025, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

हिन्दी एवं अंग्रेज़ी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 03 फरवरी, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 1/2025/91(2)/94-स्टा०नि०-2-2025, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।

3- प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।

4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।

6- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।

7- समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०

8- समस्त उप निबन्धक/सहायक/उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।

9- विधायी अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।

10- भाषा अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/2025/91/94-SR-2-2025-700(89)/2024 dated : 03 February, 2025 :

Notification

No. 1/2025/91/94-SR-2-2025-700(89)/2024
Lucknow; Dated : 03 February, 2025

In exercise of the powers under 78-A of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, under this notification, is pleased to remit the registration fee to the extent shown in Column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instrument as shown in Column-4 of the said Schedule for the purposes as mentioned in Column-2 of the said Schedule as provided in paragraph 5.10 of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022).

SCHEDULE

Relevant Paragraph of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022)	Purpose and other detail	Extent of remission	Nature of instruments and Article number of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899
1	2	3	4
5.10	On the purchase/lease of land for the establishment of semiconductor units (Silicon Semiconductor Fab, Display Fabrication Unit (Fab), Compound Semiconductors, Silicon Photonics (SiPh), Sensors (including MEMS) Fab, Discrete Semiconductors Fab Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/ Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility)	100%	"Conveyance" under clause (a) of Article-23 and "lease" under Article-35 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899

2. The aforesaid remission shall be subject to the following conditions, namely :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(a) the Unit shall not be provided with other remission or facility under any other policy of the State Government;

(b) the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre/ Deputy Commissioner Industries with the approval of District Magistrate shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes mentioned above; and

(c) irrevocable bank guarantee of the amount equal to the remission of registration duty in favour of Inspector General of Registration, Uttar Pradesh shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such conveyance deed/lease deed. In this regard, it shall be the liability of I.T. and Electronics Department, Uttar Pradesh to inform the status of non-fulfillment of the purpose or non-commencement of commercial production within the prescribed period, by the unit receiving such remission to the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh immediately. In such a condition, the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh shall deposit the amount in the proper account head of the Department, by encashing the bank guarantee :

Provided that upon confirmation of the fact by the I.T. and Electronics Department, Uttar Pradesh that the conditions under the aforesaid policy have been properly complied with by the concerned unit, the Bank Guarantee shall be released by the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh.

(d) The provisions of this notification shall be deemed to have come into force with effect from 12.11.2020 and shall remain in force till the effective date of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022).

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या : 2/2025/92/94-स्टा०नि०-2025-700(89)/2024
लखनऊ, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना सं०-12/2020/1245/ 94-स्टा०नि०-2-2020-700(19)/2020 दिनांक 12.11.2020 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हो या किये जाने हेतु लोपित हो, इस अधिसूचना के अधीन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के पैरा 5.3 व 5.10 में यथा उपबन्धित उक्त अनुसूची के स्तंभ-2 में यथा उल्लिखित प्रयोजनों हेतु उक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में यथा प्रदर्शित लिखत के संबंध में प्रभार्य **स्टाम्प शुल्क** में नीचे अनुसूची के स्तंभ-3 में प्रदर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के सुसंगत पैरा	**प्रयोजन व अन्य विवरण**	**छूट की सीमा**	**भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची-1-ख के अनुच्छेद संख्या और लिखत की प्रकृति**
1	**2**	**3**	**4**
5.3	**(एक)** एकल ई०एस०डी०एम० इकाई की स्थापना हेतु भूमि का क्रय/पट्टा	**100 %**	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसूची-1-ख के अनु०-35 के अधीन पट्टा और अनु० 23-के खण्ड-क के अधीन हस्तान्तरण
	(दो) ई०एम०सी०/ई०एस०डी०एम० पार्क्स की स्थापना हेतु (भूस्वामी से विकासकर्ता/एस०पी०वी० को) भूमि का क्रय/पट्टा का प्रथम संव्यवहार पर	**100 %**	
	(तीन) ई०एम०सी०/ई०एस०डी०एम० पार्क्स की स्थापना हेतु (विकासकर्ता/एस०पी०वी० से ई०एस०डी०एम० ईकाई को) भूमि के क्रय/पट्टा के द्वितीय संव्यवहार पर	**50 %**	
5.10	सेमी कण्डक्टर इकाईयों (सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन इकाई (फैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स (एम०ई०एम०एस० सहित) फैब, डिस्कीट	**100 %**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	सेमीकण्डक्टर फैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए०टी०एम०पी०)/आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्ट (ओ०एस०ए०टी०) सुविधा) की स्थापना हेतु भूमि का क्रय/पट्टा पर		

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी-

(क) संबंधित इकाई को राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अधीन अन्य छूट या सुविधा नही प्रदान की जायेगी;

(ख) जिले का जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/उपायुक्त उद्योग ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, उपरिलिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

(ग) ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहारणीय बैंक प्रत्याभूति (Bank Guarantee), निबन्धनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश को देगा। ऐसी दशा में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश बैंक प्रत्याभूति को भुना कर विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा;

परन्तु यह कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि सम्बन्धित इकाई द्वारा पूर्वोक्त नीति के अधीन शर्तों का सम्यक अनुपालन कर दिया गया है, बैंक प्रत्याभूति को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अवमुक्त कर दिया जायेगा।

(घ) इस अधिसूचना के उपबन्ध दिनांक 12.11.2020 से प्रवृत्त माने जायेंगे और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, 2020 (सन् 2022 में यथा संशोधित) के प्रभावी दिनांक तक लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 2/2025/92(1)/94-स्टा०नि०-2-2025, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

हिन्दी एवं अंग्रेज़ी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 03 फरवरी, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 2/2025/92(2)/94-स्टा०नि०-2-2025, दिनांक : 03 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3- प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।
7- समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०
8- समस्त उप निबन्धक/सहायक/उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० द्वारा महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।
9- विधायी अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
10- भाषा अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 2/2025/92/94-SR-2-2025-700(89)/2024 dated : 03 February, 2025 :

Notification

No. 2/2025/92/94-SR-2-2025-700(89)/2024
Lucknow; Dated : 03 February, 2025

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, in supersession of Notification no. 12/2020/1245 /94-S.R.-2-2020-700(19)/2020 dated 12.11.2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, under this notification, is pleased to remit the **stamp duty** to the extent shown in Column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instrument as shown in Column-4 of the said Schedule for the purposes as mentioned in Column-2 of the said Schedule as provided in paragraph 5.3 and 5.10 of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022).

SCHEDULE

Relevant Paragraph of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022)	Purpose and other detail	Extent of remission	Nature of instruments and Article number of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899
1	2	3	4
5.3	(i) on the purchase/lease of land for the establishment of individual E.S.D.M unit	100 %	"Conveyance" under clause (a) of Article-23 and "lease" under Article-35 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899
	(ii) on the first transaction of purchase/lease of land (from land owner to Developer/S.P.V) for the establishment of E.M.C/E.S.D.M parks	100 %	
	(iii) on the second transaction of purchase/lease of land (from Developer/S.P.V to E.S.D.M unit) for the establishment of E.M.C/E.S.D.M parks	50 %	
5.10	on the purchase/lease of land for the establishment of semiconductor units (Silicon Semiconductor Fab,	100 %	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Display Fabrication Unit (Fab), Compound Semiconductors, Silicon Photonics (SiPh), Sensors (including MEMS) Fab, Discrete Semi conductors Fab Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging(ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility)		

2. The aforesaid remission shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) the Unit shall not be provided with other remission or facility under any other policy of the State Government;

(b) the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre/Deputy Commissioner Industries with the approval of District Magistrate shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes mentioned above; and

(c) irrevocable bank guarantee of the amount equal to the remission of stamp duty in favour of Inspector General of Registration, Uttar Pradesh shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such conveyance deed/lease deed. In this regard, it shall be the liability of the I.T. and Electronics Department, Uttar Pradesh to inform the status of non-fulfillment of the purpose or non-commencement of commercial production within the prescribed period, by the unit receiving such remission to the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh immediately. In such a condition, the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh shall deposit the amount in the proper account head of the Department, by encashing the bank guarantee:

Provided that upon confirmation of the fact by the I.T. and Electronics Department, Uttar Pradesh that the conditions under the aforesaid policy have been properly complied with by the concerned unit, the Bank Guarantee shall be released by the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh.

(d) The provisions of this notification shall be deemed to have come into force with effect from 12.11.2020 and shall remain in force till the effective date of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy, 2020 (as amended in 2022).

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं० 526/78-01-2024

प्र० 481/प्र०स०आई०टी०/2024

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-**6/2024/**362/94-स्टा0नि0-2-2024-700(08)/2024
लखनऊ, दिनांक 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

आदेश

VS(RR)

19-3-24
(जीत लाल)
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आई०टी० एवं इले०, एन०आर०आई० विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के अधीन, उत्तर प्रदेश सेमी कण्डक्टर नीति 2024 के प्रस्तर-6.1.4 के उपबंधों के अनुसार उक्त नीति के प्रस्तर 4.2 के उपप्रस्तर 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 में यथावर्णित पात्र परियोजनाओं हेतु नीचे अनुसूची के स्तम्भ 4 में दर्शित लिखत के सम्बन्ध में, प्रभार्य **स्टाम्प शुल्क** में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करतीं हैं-

831/VS(RR)/24

उत्तर प्रदेश सेमी कण्डक्टर नीति 2024	विवरण एवं ब्यौरे	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
प्रस्तर-6.1.4	नीति के उपप्रस्तर 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 में यथा वर्णित नीचे उल्लिखित परियोजनाओं के लिये- सेमी कण्डक्टर फैब्स की स्थापना, डिस्प्ले फैब्स की स्थापना, कम्पाउण्ड सेमी कण्डक्टर, सिलिकॉन फोटो सेन्सर फैब्स, सेमी कण्डक्टर असेम्बली परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग/ओ0एस0टी0 सुविधाओं, ऐसी कोई अन्य समान परियोजना, जो भूमि के क्रय अथवा पट्टा पर इसे लेने पर भारत सरकार द्वारा संशोधित या प्रस्तावित की जा रही है।	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड-(क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा।

19/03/24
(मानिक कुमार भट्टाचार्य)
निजी सचिव
विशेष सचिव
आई० टी० एवं इले० विभाग
उ०प्र० शासन।

अनु सचिव (बि)
19/3/2024
(राधेश्याम)
संयुक्त सचिव
आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उ०प्र० शासन।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन होगी-

1- इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी, यदि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंन्द्र, लिखत पर यह पुष्टि करें कि उक्त विलेख का निष्पादन उत्तर प्रदेश सेमी कण्डक्टर नीति 2024 के अधीन किया जा रहा है और उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में वह हस्ताक्षर भी करेगा।

2- स्टाम्प शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, बैंक प्रत्याभूति की विधि मान्यता अवधि अन्यून 5 वर्ष होनी चाहिए।

M.D. UPLC.
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनु-2 की अधिसूचना दि. 15.3.24 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
20.3.24

19.3.24

3- इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष तक प्रवृत्त रहेंगे। यदि किन्ही कारणों से उक्त नीति निरस्त की जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन छूट उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहृत समझी जायेगी।

4- अधिसूचित उपबन्धों का क्रियान्वयन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 31-3-2023 के विद्यमान प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2024/362(1)/94-स्टा0नि0-2-2024, तद्दिनांक।

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक **15 मार्च, 2024** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या-6/2024/362(2)/94-स्टा0नि0-2-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- स्टाफ आफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. **6/2024**/362/94-S.R.-2-2024-700(08)/2024, dated 15 March, 2024

Notification
Order

No. **6/2024**/362/94-S.R.-2-2024-700 (08)/2024
Lucknow : Dated 15 March, 2024

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit the **stamp duty**, under this notification, chargeable in respect of the instrument shown in Column-4 of the Schedule below, in accordance with the provisions of para 6.1.4 of the **Uttar Pradesh Semi Conductor Policy 2024,** to the eligible projects as described in sub-paragraph-4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 of paragraph-4.2 of the said policy, to the extent mentioned in column-3 of the table below:-

SCHEDULE

Uttar Pradesh Semi Conductor Policy 2024	**Descriptions and Details**	**Extent of Remission**	**Nature of Instruments**
1	**2**	**3**	**4**
Para-6.1.4	To the below mentioned projects as described in sub-paragraph-4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 of the policy- Establishment of Semi Conductor Fabs, Establishment of Display Fabs, Compound Semi Conductor, Silicon Photo Sensor Fabs, Semi Conductor Assembly Testing, Marking and Packaging/OST Facilities, any other similar projects which is being amended or proposed by the Government of India, on purchasing land or taking it on lease.	100%	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of the Schedule 1(B), Indian Stamp Act, 1899

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

The aforesaid exemption under this notification shall be subject to the following terms and conditions:-

1- The exemption of the notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, district industries centre, of the concerned district shall confirm in the instrument that the said deed is being executed under the **Uttar Pradesh Semi Conductor Policy 2024,** and also sign as a witness for the said purpose.

2- Irrevocable Bank Guarantee of the amount equivalent to the remission of **stamp duty** in favour of the District Magistrate of the concerned district shall be presented before the registration officers at the time of the registration of such deed. The validity period of the bank guarantee should not be less than 5 years.

3- The provisions mentioned in this notification will remain in force for 5 years from the date of the commencement of the policy. In case the said policy comes to end, by any means, the remittance under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said policy.

4- The implementation of the notified provisions shall be done according to the extant procedural guidelines of the G.O. dated 31-03-2023 issued by the Stamp and Registration Department.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सं० 525/78-01-2024

480/......./2024

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-**7/2024/**363/94-स्टा0नि0-2-2024-700(08)/2024
लखनऊ, दिनांक 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या-16, सन् 1908) की धारा 78-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के अधीन, उत्तर प्रदेश सेमी कण्डक्टर नीति 2024 के प्रस्तर-6.1.4 के उपबंधों के अनुसार उक्त नीति के प्रस्तर 4.2 के उपप्रस्तर 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 में यथावर्णित पात्र परियोजनाओं हेतु नीचे अनुसूची के स्तम्भ 4 में दर्शित लिखत के सम्बन्ध में, प्रभार्य **रजिस्ट्रीकरण शुल्क** में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करतीं हैं-

उत्तर प्रदेश सेमी कण्डक्टर नीति 2024	**विवरण एवं ब्यौरे**	**छूट की सीमा**	**लिखत की प्रकृति**
1	**2**	**3**	**4**
प्रस्तर-6.1.4	नीति के उपप्रस्तर 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 में यथा वर्णित नीचे उल्लिखित परियोजनाओं के लिये- सेमी कण्डक्टर फैब्स की स्थापना, डिस्प्ले फैब्स की स्थापना, कम्पाउण्ड सेमी कण्डक्टर, सिलिकॉन फोटो सेन्सर फैब्स, सेमी कण्डक्टर असेम्बली परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग/ओ0एस0टी0 सुविधाओं, ऐसी कोई अन्य समान परियोजना, जो भूमि के क्रय अथवा पट्टा पर इसे लेने पर भारत सरकार द्वारा संशोधित या प्रस्तावित की जा रही है।	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड-(क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन होगी:-

1- इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी, यदि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र लिखत पर यह पुष्टि करें कि उक्त विलेख, का निष्पादन उत्तर प्रदेश सेमी कण्डक्टर नीति 2024 के अधीन किया जा रहा है और उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में वह हस्ताक्षर भी करेगा।

2- रजिस्ट्रीकरण शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि की सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, बैंक प्रत्याभूति की विधि मान्यता अवधि अन्यून 5 वर्ष होनी चाहिए।

VS(RR) 19-3-24
(जीत लाल) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, आई०टी० एवं इले०, एन०आर०आई० उत्तर प्रदेश शासन।

829/VS(RR)/24 JS. 19/03/24
(मानिक कुमार भट्टाचार्य) निजी सचिव विशेष सचिव आई० टी० एवं इले० विभाग उ०प्र० शासन।

19/3/24
(राधेश्याम) संयुक्त सचिव आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ०प्र० शासन।

19.3.24

3- इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष तक प्रवृत्त रहेंगे। यदि किन्ही कारणों से उक्त नीति निरस्त की जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन छूट उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहृत समझी जायेगी।

4- स्टाम्प शुल्क छूट को आच्छादित करने वाले बैंक प्रत्याभूति के नियम व प्रक्रिया, रजिस्ट्रीकरण शुल्क छूट को आच्छादित करने वाले बैंक प्रत्याभूति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-7/2024/363(1)/94-स्टा0नि0-2-2024, तददिनांक।

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक **15 मार्च, 2024** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या-7/2024/363(2)/94-स्टा0नि0-2-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- स्टाफ आफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no.**7/2024**/363/94-S.R.-2-2024-700(08)/2024, dated 15 March, 2024

Notification
Order

No. **7/2024**/363/94-S.R.-2-2024-700 (08)/2024
Lucknow, Dated : 15 March, 2024

In exercise of the powers under 78-A of the registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, Hon'able Governor is pleased to remit the **registration fee**, under this notification, chargeable in respect of the instrument shown in Column-4 of the schedule below, in accordance with the provisions of para 6.1.4 of the **Uttar Pradesh Semi Conductor Policy 2024,** to the eligible projects as described in sub-paragraph-4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 of paragraph-4.2 of the said policy, to the extent mentioned in column-3 of the table below:-

SCHEDULE

Uttar Pradesh Semi Conductor Policy 2024	**Descriptions and Details**	**Extent of Remission**	**Nature of Instruments**
1	**2**	**3**	**4**
Para-6.1.4	To the below mentioned projects as described in sub-paragraph-4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 of the policy- Establishment of Semi Conductor Fabs, Establishment of display Fabs, Compound Semi Conductor, Silicon Photo Sensor Fabs, Semi Conductor Assembly Testing, Marking and Packaging/OST Facilities, any other similar projects which is being amended or proposed by the Government of India, On purchaing land or taking it on lease.	100%	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of the Schedule 1(B), Indian Stamp Act, 1899

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

The aforesaid exemption under this notification shall be subject to the following terms and conditions:-

1- The exemption of the notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre, of the concerned district shall confirm in the instrument that the said deed is being executed under the Uttar Pradesh Semi Conductor Policy 2024, and also sign as a witness for the said purpose.

2- Irrevocable Bank Guarantee of the amount equivalent to the remission of **registration fee**, in favour of the District Magistrate of the concerned district shall be presented before the registration officers at the time of the registration of such deed. The validity period of the bank guarantee should not be less than 5 years.

3- The provisions mentioned in this notification will remain in force for 5 years from the date of the commencement of the policy. In case the said policy comes to end, by any means, the remittance under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said policy.

4- Rules and procedure of Bank Guarantee covering stamp duty exemption shall apply mutatis mutandis to the Bank Guarantee covering registration fee exemption.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।